

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ0 बजट-आवंटन-34/2013-135 (आवंटन) /कृ0, पटना, दिनांक 03-09-2013  
प्रेषक,

रामजी सिंह,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

मुख्य लेखा पदाधिकारी,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

विषय : राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर को वित्तीय वर्ष, 2013-14 (मार्च, 2013 से फरवरी, 2014 तक) में गैर-योजना अंतर्गत स्थापना एवं अन्य बजट में उपबंधित राशि के अंतर्गत कुल स्वीकृत ₹80,78,50,000 (अस्सी करोड़ अठहत्तर लाख पचास हजार रु०) मात्र में से प्रथम किस्त के रूप में ₹40,39,25,000 (चालीस करोड़ उन्चालिस लाख पचीस हजार रु०) मात्र कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन, परिसम्पतियों के निर्माण तथा वेतनादि के अलावा मद में सहायक अनुदान की व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप ₹40,39,25,000 (चालीस करोड़ उन्चालिस लाख पचीस हजार रु०) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या-4205 दिनांक-26.08.2013 द्वारा राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर को वित्तीय वर्ष, 2013-14 (मार्च, 2013 से फरवरी, 2014 तक) में गैर-योजना अंतर्गत स्थापना एवं अन्य बजट में उपबंधित राशि के अंतर्गत कुल स्वीकृत ₹80,78,50,000 (अस्सी करोड़ अठहत्तर लाख पचास हजार रु०) मात्र में से प्रथम किस्त के रूप में ₹40,39,25,000 (चालीस करोड़ उन्चालिस लाख पचीस हजार रु०) मात्र कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन, परिसम्पतियों के निर्माण तथा वेतनादि के अलावा मद में सहायक अनुदान की व्यय की स्वीकृति हुई है। इस स्वीकृत राशि के अंतर्गत व्यय हेतु कुल ₹40,39,25,000 (चालीस करोड़ उन्चालिस लाख पचीस हजार रु०) मात्र [(विषयशीर्ष-31 04-सहायक अनुदान वेतन मद में ₹35,39,25,000 (पैंतीस करोड़ उन्चालिस लाख पच्चीस हजार रु०) मात्र, विषयशीर्ष-31 05-सहायक अनुदान-परिसम्पतियों के निर्माण मद में 1,70,00,000 (एक करोड़ सत्तर लाख रु०) मात्र एवं विषयशीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में ₹3,30,00,000 (तीन करोड़ तीस लाख रु०) मात्र] की राशि आवंटित की जाती है।


2. उपरोक्त ₹40,39,25,000 (चालीस करोड़ उन्चालिस लाख पचीस हजार रु०) मात्र की राशि का व्यय बजट शीर्ष-2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-उप मुख्यशीर्ष-01-फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष-277-शिक्षा-मांग सं०-01-उपशीर्ष-0005-राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर, विपत्र कोड-N2415012770005, के अंतर्गत [(विषयशीर्ष-31 04-सहायक अनुदान वेतन मद में उपबंधित ₹70,78,50,000, विषयशीर्ष-31 05-सहायक अनुदान-परिसम्पतियों के निर्माण मद में उपबंधित ₹3,40,00,000 एवं विषयशीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में उपबंधित ₹6,60,00,000)] वित्तीय वर्ष, 2013-14 में उपबंधित कुल ₹80,78,50,000 से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-4981 वि० (2) दिनांक-16.05.2013 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी० भी० न० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।



विश्वासभाज  


(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक

135 (आवृत्त)

/कृ०, पटना, दिनांक 03-09-2013

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(135/03/0/11)  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक

135 (आवृत्त)

/कृ०, पटना, दिनांक 03-09-2013

प्रतिलिपि : कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/कुलपति बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/ नियंत्रक, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर, बिहार/संयुक्त कृषि निदेशक (योजना) कृषि विभाग, बिहार, पटना/उप कृषि निदेशक, (प्रसार)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/वित्त विभाग, (बजट-शाखा) बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-04 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

सूचना

(135/03/0/11)  
सरकार के संयुक्त सचिव।

आई.टी.आई.